कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

पत्रांकः-7304 /4486/निर्माण अनु0/न0पा0प0फ0(2023-24)   दिनांकः-12/12/2023

ई-निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के पंजीकृत ठेकेदारों तथा शासनादेश सं0 3890/नौ-5-19 सा0/2019 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 20.09.2019 के अनुसार एतदद्वारा सूचित किया गया था कि अमृत-2.00 योजनान्तर्गत नगरीय निकायो में अमृत सरोवरों के विकास कार्य हेतु स्वीकृत निम्न कार्य हेतु ई-टेण्डर के माध्यम से दिनांक 26.12.2023 से दिनांक 02.01.2024 को अपरान्ह 05:00 बजे तक आनलाइन निविदा डाउनलोड/अपलोड की जायेंगी। उक्त निविदा दिनांक 03.01.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे से आनलाइन खोली जायेगी। सम्बन्धित निविदा वेबसाइट **http://etender.up.nic.in** पर देखी जा सकती है। आनलाइन निविदा के साथ वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, स्वघोषणा प्रमाण-पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन नम्बर, जी0एस0टी0 पंजीकृत प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ कार्य की निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि कार्य आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के आई0डी0बी0आई0 बैंक फतेहपुर की खाता सं0- **1060104000145473** शाखा फतेहपुर आई0एफ0एस0सी0 कोड **IBKL0001060** जमा किया जायेगा। निविदाओं में किसी प्रकार की त्रुटि एवं अपूर्ण पाये जाने पर तत्काल बिना कारण बताये निविदा निरस्त किये जाने का अधिकारी सक्षम अधिकारी में निहित होगा। अन्य शर्तें/जानकारी किसी भी कार्य दिवस में पालिका के अभियन्त्रण विभाग से की जा सकती है। सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त कर दें जिसका कोई भी क्लेम निविदादाता का मान्य न होगा। शासनादेश के अनुरूप जी.एस.टी. सहित समस्त कर अनुमन्य होगें। शासनादेश सं0-79/78-2 -2018-42आई.टी./2017(22) दिनांक 03.01.2018 के अनुरूप ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोले जाने के उपरान्त समस्त मूल अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू.लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य+स्टेशनरी चार्जेज +जी. एस.टी.	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	अमृत-2.0 योजना	वार्ड नं0 15 उत्तरी मसवानी गाटा सं0 2730 स्थित धोबीघाट तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	134.25	2.69	कुल रू0 4720.00	09 माह

नियम व शर्तें

01. किसी भी टेस्टिंग पर आने वाले खर्च का वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
02. निर्माण कार्यो हेतु निविदादाता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य एवं कार्य स्थल के बारे में भली भांति परिचित हो लें।
03. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को 10प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कर शीघ्र-अतिशीघ्र अनुबन्ध करना होगा।
04. उक्त कार्य हेतु निविदादाता को कार्य की अनुमानित लागत का 80प्रतिशत धनराशि के बराबर समान प्रकृति का एक कार्य अथवा 50प्रतिशत लागत की धनराशि के दो कार्य अथवा 40प्रतिशत लागत की धनराशि के तीन कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण किया गया हो का अनुभव प्रमाण-पत्र ठेकेदार द्वारा ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। (समान प्रकृति के कार्य से तात्पर्य सिविल एवं अर्थवर्क इन वाटरबॉडी से है) अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
05. निविदा प्रपत्र के साथ अद्यतन हैसियत व चरित्र प्रमाण-पत्र की स्वाप्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।
06. उ0प्र0 भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा शर्त विनियमन) नियमावली 2009 के अनुसार कार्य के निर्माण लागत का 01 प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) की धनराशि सम्बन्धित बोर्ड को स्थानान्तरित की जायेगी। जिसको समाविष्ट करते हुए निविदादाता अपनी निविदा दर अंकित करें।
07. शासनादेश सं0 622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के निहित निर्देशानुसार कार्यो की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10प्रतिशत तक कम दर डालने पर 0.5 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर तथा 10प्रतिशत से अधिक कम दर डालने पर 01 प्रतिशत प्रति 01प्रतिशत कम दर के अनुरूप परफार्मेंशन गारण्टी ली जायेगी।
08. उक्त कार्य जनहित में अति आवश्यक कार्य हैं अतएव जनहित के दृष्टिगत् ठेकेदार को आनलाइन निविदा के साथ इस आशय का रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा कि अनुबन्ध/कार्यादेश के अनुसार कार्य को समय से पूर्ण किया जायेगा। ई-निविदा के साथ शपथ पत्र की स्कैन प्रति न संलग्न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्रमशः पेज............02 पर

09. ठेकेदार के नाम निर्माण कार्य स्वीकृत होने की दशा में ठेकेदार को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम–1996 एवं तत्सम्बन्धित प्रदेश नियमावली–2009 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्रमिक व निर्माण स्थल कर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
10. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश नगर विकास अनुभाग–5 के अमृत सरोवर ई–ऑफिस कम्प्यूटर सं0– 1731218 संख्या– 157/अमृत–2.0/नौ–5–2023 लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर, 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
11. शासनादेश संख्या–1319/नौ–9–21–45ज/21 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 30जून, 2021 द्वारा जारी नगर पालिक परिषद में निर्माण/विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
12. ठेकेदार का वित्तीय टर्न ओवर विगत् 05 वित्तीय वर्षों (31 मार्च तक) आगणन की धनराशि से 35प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।

(समीर कुमार कश्यप)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर।

(राजकुमार मौर्य एडवोकेट)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में प्रेषित।

01. सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र .... को इस आशय से प्रेषित है कि कम से कम स्थान पर प्रकाशित कर निर्धारित दर पर भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
02. कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
03. कार्यालय अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
04. कार्यालय जिला सूचनाधिकारी, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
05. कार्यालय अधिशासी अभियंता लो0नि0वि0/प्रान्तीय खण्ड, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
06. कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।